गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

पंजीकृत कार्यालयः 602, 6वीं मंजिल, जीरो वन आईटी पार्क, एसआर नंबर 79/1, घोरपडी, मुंडवा रोड, पुणे– 411036
ब्रांच ऑफ यूनिटः दूसरी मंजिल, फ्रेड्स प्लाजा, एम–52ध्53, ईश्वर नगर, नई दिल्ली – 110065।

ई–नीलामी बिक्री सूचना
सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित।

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास गिरवी रखा गया है। पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 17 नवंबर 2023 से गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में बदल गया (पहले इसे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और मूल रूप से जेमनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित किया गया था) (इसके बाद अधिनियम के अनुसार इसे 'सुरक्षित लेनदार' के रूप में जाना जाता है) जिसका कब्जा सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13(2) के तहत नोटिस के अनुसार सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है।

सुरक्षित संपत्तियां ई–नीलामी के माध्यम से **31/05/2024 को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ है'** के आधार पर बेची जाएंगी। इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइटः **https://www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे **हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया जीएचएफएल/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी www.-grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।**

क्र. सं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम [ए]	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि [बी]	कब्जे की प्रकृति [सी]	संपत्ति का विवरण [डी]	आरक्षित मूल्य [ई]	ईएमडी (आरपी का 10 प्रतिशत) [एफ]	ईएमडी जमा करने की तारीख [जी]	वृद्धिशील बोली [एच]	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय [आई]	नीलामी की तारीख और समय [जे]	बाधाएँ/न्यायालय मामले, यदि कोई ज्ञात हों तो [झ]
1	ऋण संख्या एचएफ/0179/एच/20/100263 हरवीर (उधारकर्ता), बिमला (सह–उधारकर्ता), विपिन (सह–उधारकर्ता)	सूचना दिनांकः 07/12/2022 रु. 1817917.96/– (अट्ठारह लाख सत्रह हजार नौ सौ सत्रह रूपये और छियानबे पैसे मात्र) 07/12/2022 को 14.75 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देय। पुर्नभुगतान होने तक.	भौतिक	आवासीय संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और बंधक संपत्ति का पार्सल, प्लॉट नंबर 569 पश्चिमी भाग क्षेत्र 100 वर्ग यार्ड 8 कनाल में से गज, खसरा नंबर 7//5/4 में से, गांव नंगला गुजरान, तहसील बड़खल, जिला फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है।	रु. 19,15,326/– (उन्नीस लाख पन्द्रह हजार तीन सौ छब्बीस रूपये मात्र)	रु. 1,91,532.6/– (एक लाख इक्यानबे हजार पांच सौ बत्तीस रुपये और साठ पैसे मात्र)	30/05/2024 शाम 5 बजे से पहले	10,000/–	24/05/2024 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	31/05/2024 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी जांच करें और अतिरिक्त शुल्क, ऋणभार और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करें। संपत्ति से जुड़े सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी का बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।

इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और पहले से ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो नीलामी सेवा प्रदाता) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पता– प्लॉट नंबर–68 तीसरी मंजिल गुड़गांव हरियाणा–122003, हेल्पलाइन नंबर– 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी– **Support@bankeauctions.com.** संपर्क व्यक्ति – धरनी, ईमेल आईडी– **dharani.p@c1india.com** संपर्क नंबर– 9948182222 से ई–बोली के लिए अनिवार्य है, एवमं कि संभावित बोलीदाता लाभ उठा सकते हैं ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण उन्हीं से इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को 'गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड', बैंक–आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड खाता संख्या–000651000460 और आईएफएससी कोड– आईसीआईसी0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड–कोलकाता–700001, के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करनी होगी। किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से 30/05/2024 को या उससे पहले निकाला गया और अपना नाम **https://www.bankeauctions.com** पर पंजीकृत करें और उपयोगकर्ता प्राप्त करें। आईडी एवं पासवर्ड निःशुल्क एवं सेवा प्रदाता से ई–नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर अपने पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी, ई–मेल करना होगा और पते पर स्वयं सत्यापित हार्ड कॉपी – दूसरी मंजिल, फ्रेड्स प्लाजा, एम–52ध्53, ईश्वर नगर, नई दिल्ली – 110065 मोबाइल नंबर। +91 9567626050 ई–मेल आईडी **rahul.r1@grihumhousing.com.** पर भेजनी होगी ।

इस नोटिस को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम–2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को 15 दिनों का नोटिस माना जाना चाहिए।

दिनांकः 15.05.2024, स्थानः फरीदाबाद — **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)**

फॉर्म संख्या 3
[विनियम–15(1)(ए) देखें]/16(3)

ऋण वसूली न्यायाधिकरण,चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रथम तल, एससीओ 33–34–35 ,सेक्टर–17 ए,
चंडीगढ़ (तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

केस नंबरः ओए/322/2024

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत समन।

ई–एक्सएच नं. 22825

कर्नाटक बैंक लिमिटेड
बनाम
राहुल राहुल

सेवा में ,
2) प्रतिवादी नं.2 – श्री धरामबीर पुत्र श्री सोहन लाल आयु 52 वर्ष निवासी मकान नं. 867/17, पुराना डी सी रोड़ , निकट दीवान चक्की वाला गली , भागत पुरा, सोनीपत हरियाणा 131001 {सह–आवेदक}

समन

जबकि, ओए/322/2024 को 09/05/2024 को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि यह माननीय ट्रिब्यूनल रु.4740967.28/–के ऋण की वसूली के लिए आपके खिलाफ दायर अधिनियम, (ओए) की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर सम्मनध्नोटिस जारी करता है (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)।

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप, प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता हैः

(i) सम्मन की तामील के तीस दिनों के भीतर कारण बतायें कि याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर राहत क्यों न दी जानी चाहिए।

(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों और संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या संपत्तियों के विवरण का खुलासा करना।

(पपप) आपको संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान के लंबित रहने तक, मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई सुरक्षित संपत्ति या ऐसी अन्य संपत्तियों और संपत्तियों से निपटने या निपटाने से रोका जाता है।

(iv) ट्रिब्यूनल के पूर्व अनुमोदन के बिना मूल आवेदन के क्रम संख्या 3 ए के तहत निर्दिष्ट या प्रकट की गई संपत्तियां और ध्या अन्य संपत्ति और संपत्तियां, जिस पर प्रतिभूति हित बनाया गया है, उसे आप बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से, उसके व्यवसाय के सामान्य कार्य को छोड़कर, किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेंगे।

(v) आप व्यापार के सामान्य क्रम में सुरक्षित संपत्तियों या अन्य संपत्तियों एवं संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय के लिए जिम्मेदार होंगे और इस तरह संपत्तियां की बिक्री से आय बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास रखे गए खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आपको आवेदक को उसकी एक प्रति के साथ लिखित विवरण दाखिल करने और दिनांक 20.08.2024 को पूर्वाह्न 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय लिया जाएगा।

दिनांक 10.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस ट्रिब्यूनल की मुहर के तहत दिया गया आदेश ।

हस्ता/–
मुहर
समन जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़

नोटः जो लागू न हो उसे काट दें।

फेडरल बैंक

आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार

एलसीआरडी नई दिल्ली डिविजन, यू.जी.एफ., केडरल टॉवर्स, 2/2 वेस्ट पटेल नगर, पटेल रोड, नई दिल्ली–110008 फोन नं. 011–40733977, 78, 79 एवं 80 ई–मेलः ndllcrd@federalbank.co.in
CIN: L65191KL1931PLC000368 वेबसाईटः www.federalbank.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत फेडरल बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी के रूप में और उक्त की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (बाद में नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम ने दिनांक **11.12.2023** को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता **(1) श्रीमती सुनीता चौहान पत्नी और स्वर्गीय भूप सिंह** की कानूनी उत्तराधिकारी एफसीए–241, चावला कॉलोनी, बल्लबगढ़, जिला फरीदाबाद, **यहां भीः** मकान नंबर 321पी, सेक्टर–55, फरीदाबाद, हरियाणा, मकान नंबर 574, वार्ड नंबर 31, चावला कॉलोनी, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, **(2) श्री सागर चौहान, पुत्र और कानूनी स्वर्गीय भूप सिंह** के उत्तराधिकारी, मकान नंबर 321पी, सेक्टर–55, फरीदाबाद, हरियाणा में रहते हैं, **(3) श्री चेतन चौहान पुत्र और स्वर्गीय भूप सिंह** के कानूनी उत्तराधिकारी, मकान नंबर 321 पी, सेक्टर–55, फरीदाबाद, हरियाणा में रहते हैं। **(4) सुश्री मनीषा शेखावत स्वर्गीय भूप सिंह की बेटी** और कानूनी उत्तराधिकारी, मकान नंबर 321 पी, सेक्टर–55, फरीदाबाद, हरियाणा में रहती हैं, **(5) सुश्री रेनू चौधरी बेटी और स्वर्गीय भूप सिंह** की कानूनी उत्तराधिकारी हैं जो घर में रहती हैं नंबर 321पी, सेक्टर–55, फरीदाबाद, हरियाणा, **(6) सुश्री आशा चौहान पुत्री और स्वर्गीय भूप सिंह** की कानूनी उत्तराधिकारी, मकान नंबर 321पी, सेक्टर–55, फरीदाबाद, हरियाणा, (7) **सुश्री रिंकी चौहान बेटी और स्वर्गीय भूप सिंह** की कानूनी उत्तराधिकारी है और मकान नंबर 321 पी, सेक्टर–55, फरीदाबाद, हरियाणा को नोटिस में उल्लिखित राशि **रूपये 30,81,279.20 (तीस लाख इक्यासी हजार दो सौ उनासी रुपये और केवल बीस पैसे)** उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से **60 दिनों** के भीतर चुकानी होगी। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर उक्त अधिनियम नियमों के नियम 8 के साथ **8 मई 2024** को कब्जा कर लिया है।

सुरक्षित संपत्तियों (सुरक्षा संपत्तियों) को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वह संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी लेन–देन पर **32,43,620/– रुपये (बत्तीस लाख तैंतालीस हजार छह सौ बीस रुपये मात्र)** की राशि के लिए फेडरल बैंक लिमिटेड एफएचएस खाते में **136073000001416** प्लस लागत, अन्य शुल्क और उस पर ब्याज का शुल्क लगेगा।

(अचल संपत्ति का विवरण)

143.10 वर्ग मीटर मापने वाले आवासीय प्लॉट नंबर 321–पी का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका कुल कवर क्षेत्र लगभग 925 वर्ग फुट मौजूदा और बनने वाली सभी इमारतें सेक्टर–55, तहसील बल्लभगढ़, जिला–फरीदाबाद में स्थित हैं और उत्तर में प्लॉट नंबर 322, पूर्व में प्लॉट नंबर 342, पश्चिम में 30 फीट चौड़ी सड़क और दक्षिण में 30 फीट चौड़ी सड़क है। सड़क (एसआरओ बल्लभगढ़ के सेल डीड नंबर 2239 दिनांक 28.05.2010 में अधिक पूर्ण रूप से वर्णित है)।

दिनांकः 08.05.2024
स्थानः नई दिल्ली
सरफेसी अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी
(दि फेडरल बैंक लि.)

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby notified that our Company, namely, Globe Capital Market Limited, is a Trading Member, Investment advisor and research analyst registered with Securities and Exchange Board of India ('**SEBI**').

Our Company has recently been made aware of scams of impersonating, whereby some unscrupulous persons/entities, with the objective of making wrongful gains and/or cheat the prospective Investors, have created fake websites with the same/similar name/domain name as that of our Company with connecting web-links and by means of such deceptive websites, web pages and web-links, the public is being solicited to open Trading Accounts and/or advisory services through Online Mode and besides, various unrealistic enticing schemes are also being offered including assured return. The said persons/entities are even fraudulently collecting money from public on the pretext of Trading in Stock Market. The said persons/entities are fraudulently and unauthorizedly misusing the name and logo of our Company. Our Company and/or our Group, bears no responsibility for such fraudulent endeavors/activities. The General Public is forewarned to remain cautious. Should you come across any such/similar incident/activity, you may kindly assist us in curbing such malafide activities by reporting to us at our email id: **care@globecapital.com** or via telephone- **011-43666566.**

The General Public is hereby cautioned that our Company, Group, its Management, Officers or Employees have no connection or relation with such websites, webpages and/or web-links. Our Company does not engaged itself in such activities. Such unscrupulous entities are besmirching the image of our Company and causing confusion and deception in the minds of public at large. Our Company operates only via official website i.e. www.globecapital.com for all products and services. It is also be made aware that Globe operates only via below social handles:-

LinkedIn: **http://linkedin.com/company/globe-capital-market-limited**
Instagram: **https://www.instagram.com/globecapital/**
Facebook: **https://www.facebook.com/globecapital**

Globe Capital Market Limited

इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

(पूर्व में इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड के रूप में)
पंजीकृत कार्यालयः नं. 769, स्पेंसर प्लाजा, चौथी मंजिल, फेज–II अन्ना सलाई, चेन्नई– 600002

कब्जा नोटिस (धारा 8 (1) के तहत–अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002के तहत मैसर्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12)तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें यहां उल्लिखित संबंधित उधारकर्ताओं से उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि को 60 दिनों की अवधि के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। चूंकि नीचे उल्लिखित संबंधित उधारकर्ताओं ने नीचे बताई गई राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। इसके द्वारा उधारकर्ताओं, गारंटरों और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि सीजेएम कोर्ट राजसमंद द्वारा इसके प्रकरण प्रतिभूतिकरण 213/2023 आदेश दिनांक **12–10–2023** पारित किया गया के तहत नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों पर भौतिक कब्ज़ा कर लिया है। विशेष रूप से संबंधित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्तियों के साथ लेनदेन न करें और इन संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन नीचे उल्लिखित संबंधित राशि के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शुल्क के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का नाम	प्रतिभूति संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना	मांग राशि (रू.)	जब्ती की तारीख
1. श्री रतन दास देवीदास वैरागी 2. श्री देवीदास वैरागी 3. श्रीमती कमला देवी वैरागी एल.नं: SERJMND0258507 शाखाः राजसमंद	गैर–कृषि संपत्ति वाली आवासीय संपत्ति के वे सभी टुकड़े और अंश जो आर/ओ आराजी नंबर हाउस नंबर 25, लावा सरदारगढ़, ग्राम दोवारा, ग्राम पंचायत दोवारा पंचायत समिति आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.) पर स्थित है एवं माप 463.6 वर्ग फुट के साथ सभी उस पर वर्तमान और भविष्य की अधिरचना। पूर्व–आम रास्ता , पश्चिम–नेनालाल का घर, उत्तर–रामचंद्र धनराज पुत्र मोहन लाल जी शर्मा का घर, दक्षिण–मोहन दास/मांगीदास जी का घर, आमेट के उपपंजीकरण जिले और राजसमंद (राजस्थान) के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित है।	27–06–2023	रु. 376593/– (तीन लाख छिहत्तर हजार पांच सौ तिरानबे रुपये मात्र)	13–मई–2024

दिनांकः 15.05.2024 स्थानः राजसमंद — **प्राधिकृत अधिकारी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण–I, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पटेल चौक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001

बिक्री उद्घोषणा

टी.आर.सी. नं. 291/2022

पंजाब नैशनल बैंक पूर्व का ओबीसी बैंक बनाम मैसर्स एम.पी. एसोसिएट्स एवं अन्य

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

(सीडी 1) **मैसर्स एम.पी. एसोसिएट्स**
एटीः 18/1091, पहली मंजिल, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005, साथ हीः 2054, दूसरी मंजिल, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर–49, फरीदाबाद–121001, **साथ हीः** ई–III/35, मोलरबंद एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110044
(सीडी 2) मनाया परतीक नैय्यर पुत्र विवेक नैय्यर
पताः 18/1091, पहली मंजिल, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
साथ हीः 2054, दूसरी मंजिल, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर–49, फरीदाबाद–121001
(सीडी 3) गिरीश चंद गर्ग पुत्र स्वर्गीय हरीश चंद गर्ग, पताः 343, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद
(सीडी 4) गौरव गर्ग पुत्र गिरीश चंद गर्ग, पताः 343, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद
(सीडी 3) सौरभ गर्ग पुत्र गिरीश चंद गर्ग, पताः 343, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद
(सीडी 3) मनिंदर सिंह ओबेरॉय पुत्र धनवत सिंह ओबेरॉय, पताः 304, सैनिक कॉलोनी सेक्टर–49, फरीदाबाद
(सीडी 3) परवीन नैय्यर पत्नी विवेक नैय्यर, पताः 2054, दूसरी मंजिल, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर–49, फरीदाबाद–121001
साथ हीः ए–304, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर–49, फरीदाबाद

1. जैसा कि प्रमाणपत्र लेनदारों से वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागतों तथा प्रभारों सहित ओए दाखिल करने की तिथि अर्थात 13.07.2015 से वसूली तक 12% वार्षिक भावी साधारण ब्याज तथा लागतों सहित रु. 5,26,24,818/– की वसूली के लिए पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–कद्वारा ओए नं. 486/2015 दिनांक 13.07.2015 में अन्तरण वसूली प्रमाणपत्र नं. 291/2022 आहरित किया गया है।
2. तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. तथा जैसा कि लागतों तथा प्रभारों सहित ओए दाखिल करने की तिथि अर्थात 13.07.2015 से वसूली तक 12% वार्षिक भावी साधारण ब्याज तथा लागतों सहित रु. 5,26,24,818/– की राशि के तहत बकाया होगा। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 20.06.2024 को 12.00 बजे अप. से 1.00 अप. बजे के बीच, यदि जरूरी तो 1.00 अप. के बाद 5 मिनट के विस्तार के साथ में ई–नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली ''ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली'' के माध्यम से वेबसाईट http://drt.auctiontiger.net पर होगी।
4. ई–नीलामी की जाने वाली प्रस्तावित सम्पत्ति का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम सं.	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी	ईएमडी
1	संपत्ति सं. दुकान सं. 3 (जी. एफ. बिना छत के अधिकार), संपत्ति नं. 343, पुराना नंबर – 312, रेलवे रोड बजरिया गाजियाबाद	रु. 45 लाख	रु. 4.5 लाख
2	संपत्ति सं. दुकान सं. 4 (जी. एफ. बिना छत के अधिकार), संपत्ति नं. 343, पुराना नंबर – 312, रेलवे रोड बजरिया गाजियाबाद	रु. 46 लाख	रु. 4.6 लाख
3	संपत्ति सं. दुकान सं. 9 (जी. एफ. बिना छत के अधिकार), संपत्ति नं. 343, पुराना नंबर – 312, रेलवे रोड बजरिया गाजियाबाद	रु. 85 लाख	रु. 8.5 लाख

5. ईएमडी पहचान प्रमाण (वोटर आई कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) की स्वप्रमाणित प्रति सहित जिस पर भावी सम्पर्क का पता तथा स्व–प्रमाणित पैन की प्रति संलग्न हो, रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली खाता टी.आर.सी. सं. 291/2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से भुगतान किया जाना है जो रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली के पास अधिकतम 08.06.2024 को 5.00 बजे अप. से पूर्व पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद प्राप्त की गई ईएमडी पर विचार नहीं किया जायेगा। सफल बोलीदाता के मामले में उक्त जमा समायोजित कर ली जायेगी। असफल बोलीदाता ई–नीलामी बिक्री की प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–क दिल्ली से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से अपनी ईएमडी सेवा प्रदाता/बैंक/वित्तीय संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं।
6. ईएमडी वाले लिफाफे पर प्रेषक के विवरण अर्थात पता, ई–मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर आदि सहित ''टी.आर.सी. सं. 291/2022'' लिखा होना चाहिए।
7. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाता के पास एक वैध लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड और ई–मेल पता तथा पैन नम्बर होना चाहिए। लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड से सम्बन्धित विवरण के लिए कृपया सम्पर्क करें : मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) अहमदाबाद, संपर्क नंबर–079– 40230 812/11/10/09/08/07/06। मोबाइल 09002715034, ई–मेलः wb@auctiontiger.net: support@auctiontiger.net
8. सम्भावित बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना तथा अग्रिम में मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) से यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है जो उपरोक्त ई–नीलामी में बोली के लिए अनिवार्य है।
9. सम्बन्धित बैंक अधिकारियों/हेल्पलाइन नम्बर आदि का विवरण निम्न प्रकार है :

नाम तथा पद	ई–मेल तथा दूरभाष नं.
श्री विवेक कुमार (मुख्य प्रबंधक)	ई–मेल : cs8292@pnb.co.in मोबाइल नं. : 9310865921

10. जो बेचे जाने का प्रस्ताव है वे ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए सर्टिफिकेट देनदार संपत्तियों के संबंध में हकदार हैं। संपत्तियों को देनदारियों, यदि कोई हो, के साथ बेचा जाएगा। उद्घोषणा में दर्शाई गई संपत्तियों की सीमा वसूली प्रमाणपत्र अनुसूची के अनुसार है, वसूली अधिकारी किसी भी कारण से सीमा में किसी भी बदलाव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्तियों की बिक्री 'जहां है जैसी है' और 'जो है यही है' शर्त पर की जाएगी।
11. संभावित बोलीदाताओं द्वारा संपत्ति का निरीक्षण बिक्री की तिथि से पूर्व किया जा सकता है जिसके लिए उपर्युक्त बैंक के नामित अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
12. अतार्किक पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कारण बताए किसी भी समय किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने या नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
13. असफल बोलीदाताओं को अपनी ईएमडी डीआरटी–क की रजिस्ट्री से पहचान प्रमाण जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार तथा पीएसयू द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की पहचान/प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगी। असफल बोलीदाता अपनी ईएमडी की वापसी सुनिश्चित करेंगे और यदि उचित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो तुरंत रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–1, दिल्ली/या बैंक से संपर्क करें।
14. बिक्री उपरोक्त नामित सीडी की संपत्ति की होगी जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है और उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियां और दावा जहां तक उनका पता लगाया गया है, वे प्रत्येक लॉट के सम्मुख अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
15. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री के लिए रखा जाएगा, यदि वसूली की जाने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री से संतुष्ट हो जाती है तो शेष के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी। यदि किसी भी लॉट के नॉक डाउन से पहले, उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए सबूत दिया जाता है कि राशि ऐसे प्रमाणपत्र, ब्याज और लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है, तो भी बिक्री को रोक दिया जायेगा।
16. कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो बिक्री के संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर्तव्य का निर्वहन करता है, बोली लगाने, कोई हित अर्जित करने या बेचने का प्रयास नहीं करेगा।
17. बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उसके तहत बनाए गए नियमों और आगे की शर्तों के अधीन होगीः संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार हैं, लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
18. जिस राशि से बोली बढ़ाई जानी है वह रुपये 10,000 (रुपये दस हजार मात्र) के गुणक में होगी। बोली की राशि या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, लॉट को दुबारा नीलामी के लिए रखा जाएगा।
19. सफल/उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्ते उनके द्वारा प्रस्तावित बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यदि उनके द्वारा प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त लगे तथा ऐसा करना स्पष्ट रूप से अव्यावहारिक हो तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
20 सफल/उच्चतम बोलीदाता ईएमडी समायोजित करने के बाद ई–नीलामी की समाप्ति तथा उच्चतम बोलीदाता घोषित होने के तुरन्त बाद 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली खाता ''टी.आर.सी. नं. 291/2022'' के पक्ष में धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद 25% क्रय राशि राशि का डीडी/पे आर्डर जमा करना होगा जो रिकवरी अधिकारी कार्यालय में इस प्रकार भेजनी/जमा करनी होगी जो